

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 24.12.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नीरज पुत्र हीरा लाल गुप्ता नि० बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-379/20, 02. बरसाती पुत्र रामनाथ नि० डिहवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध शराब बरामद कर मु०अ०सं०-380/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

02. इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम अभिलाख पुत्र हीरा लाल नि० सेखुई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-457/20, 02. कर्ताराम सोनकर पुत्र इन्दर नि० सुखई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-458/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बावन सिंह पुत्र हवलदार सिंह नि० खालेपुरवा लक्ष्मनपुर जाट थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-513/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बाबूराम पुत्र स्व० पतिराम सोनकर नि० खालेपुरवा रानीपुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-1008/20, 02. मो० इब्राहिम खॉ पुत्र स्व० मो० यासीन नि० पंतनगर थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-1009/20, 03. बिहारी सोनकर पुत्र महेश सोनकर नि० राधेपुरवा गिर्द जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-1010/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेश कुमार पुत्र रमई चौहान नि० कुजलपुर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-476/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना धानेपुर पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त— नन्द किशोर वर्मा उर्फ चौधरी पुत्र जगदम्बा नि० ग्राम सोनपुर मौजा पूरे पण्डित वृन्दावन थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को थाना धानेपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०—361/20, धारा 376.323 भादवि व 3(2)(5) एस०एस०टी० एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना धानेपुर क्षेत्र के रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें धानेपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. गुलजारी खॉ पुत्र स्व० फरमान खॉ नि० अहियाचेत मौजा बसालतपुरवा कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—239/20, धारा 8/20, एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 450 ग्राम अवैध गांजा।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 23.12.2020 थाना कौड़िया के उ०नि० रामधारी दिनकर मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को सेहरियकला स्कूल मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 450 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना कौड़िया में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० रामधारी दिनकर।
02. का० नीरज तिवारी।
03. का० यशवन्त राव।
04. का० अंकित चौहान।